SC/ST Case no. 141 of 2021

(Jamui Sc.St P.S. Case No.- 26/2021)

Date of Judgement : 07-08-2026

State of Bihar through informant Rajesh Kumar Das Vs. Dinesh Bhagat

बिहार राज्य द्वारा सूचक राजेश कुमार दास

बनाम

1. **दिनेश भगत,** उम्र 42 वर्ष, पिता–भोला भगत,

ग्राम–निमारंग, थाना व जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 323/34, 341, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री सुनील कुमार, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–07.08.2026

निर्णय

1. कांड के सूचक राजेश कुमार दास पिता स्व0 भोला दास के द्वारा थानाध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाना, जमुई को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर इस थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–26/2021 के रूप में भा0द0वि 341, 323, 379, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–43/2021, भा0द0वि0 341, 323, 504, 506, सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड के सूचक राजेश कुमार दास पिता स्व0 भोला दास द्वारा थानाध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाना, जमुई को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि उसका पुत्र इन्द्रपे मोड़ स्थित टी.पी.बी. पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। अभी वर्तमान में स्कूल बंद करके उस भवन को निवास स्थान के रूप में बदलकर निवास किया जा रहा है। दिनांक 23.04.2021 समय लगभग 8:30 सुबह वह (सूचक राजेश कुमार दास) अपने छोटे बेटे को साईकिल पर बैठा कर घरेलू समान खरीदने जमुई जा रहा था। रास्ते में उसके बेटे के स्कूल के मालिक ने अपने घर के दरवाजा के सामने उसकी साईकिल रोककर प्रथम लॉक डाउन की शिक्षा के लिए स्कूल फीस (शुल्क) मांगने लगा उसने कहा आपका विद्य

ालय भी बंद हो गया है और लॉक डाउन के समय के लिए स्कूल फीस कही नहीं लिया जा रहा है तो वह गरीब व्यक्ति कहॉ से दे पाऐगा, इतने में स्कूल मालिक दिनेश भगत उसे गाली देते हुए मारपीट करने लगा तथा उसके घरेलू सामान खरीदने वाला पैसा करीब 2400 रूपया छिन कर उसके साईकिल पर बैठे, उसके छोटे पुत्र को भी धक्का देकर गिरा दिया तथा कहा कि ''तुम साला चमार रूपया नहीं दोगें तो इधर से कभी जाओगे तो पैर हाथ तोड़ देंगे। इतने में स्कूल मालिक दिनेश भगत के पिता भोला भगत एवं दो अज्ञात लोगों ने उसका गर्दन पकड़ कर सड़क पर पटक दिया तथा हल्ला होने पर उसकी जान बचा। स्कूल मालिक ने कहा कि ''घटना के लिए केस (Case) करोगे तो जान से मार देगें।'' वह किसी तरह ग्रामीण के सहयोग से वहॉ से निकल कर वह आनन फानन में थाना पहूॅचा। घटनास्थल पर सी.सी.टी.वी कैमरा लगा हुआ था।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 को भा0द0वि0 की धारा 323/34, 341, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 05 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. राजेश कुमार दास 2. अरविंद कुमार 3. बुधन रविदास 4. मंजीत कुमार 5. महेश पासवान।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्त ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 राजेश कुमार दास (कांड का सूचक),** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 23.04.2021 समय सुबह 8:30 बजे की है। उस समय वह अपने घर से साईकिल लेकर घरेलू सामान खरीदन के लिए नीमा बाजार से जुमई बाजार जा रहा था। उसने अपने छोटे लड़के रजनीश कुमार को साईकिल से लेकर जा रहा था तो बीच में दिनेश भगत का घर था, जो टी0पी0बी0 पब्लिक स्कूल का मालिक था। उसने उसको रोका और कहा ''साला चमार तुमसे बहुत दिन से पैसा मांग रहे है क्यों नहीं दे रहे हो और मारपीट करने लगा। उसने कहा कि अभी लॉकडाउन की हालत से गुजर रहा हूॅ, पैसा कहां से दूंगा तो उसने कहा कि ''साला चमार मुंह लगता है

और साईकिल खड़ा करने नहीं दिया और ना ही बच्चा को उतारने दिया और पीछे से कॉलर पकड़ कर उसे घुमाकर पटक दिया तथा पटककर फैट से मारने लगा। उसने हल्ला किया तब वहां पर बहुत से लोग आये और बीच बचाव किया। (इसकी वजह से उसका बच्चा मर जाता, गवाह रोते हुए बोला)। वह चमार जाति का है, हरिजन रविदास और अभियुक्त दिनेश भगत भगत जाति का है। उसके बच्चे से भी ये बाते कोर्ट में पूछा जा सकता है। उसने लिखित आवेदन थाने में दिया। यह वही लिखित आवेदन जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था। संपूर्ण लिखित आवेदन और गवाह को हस्ताक्षर को प्रदर्श P1 अंकित किया जाता है। **प्रति परीक्षा (Cross-examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि उसका बच्चा का नाम रजनीश कुमार है। विक्रम और शुभम टी0पी0बी0 पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। इस घटना से करीब 4–6 महीना पहले स्कूल बंद हो गया था, कोरोना को लेकर सरकार के आदेशानुसार स्कूल बंद हो गया था। जब स्कूल चल रहा था तो वह प्रत्येक बच्चे का 300–300 रूपया स्कूल फीस देता था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन कब लगा था और उसी वजह से स्कूल कॉलेज ऑफिस कब बंद हुआ था उसका डेट, याद नहीं है। वह अपने घर पर खोजूंगा तो स्कूल का पुराना रसीद या स्कूल बैग, बेल्ट, टाई मिल सकता है। वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि कोरोना के पहले जो स्कूल चल रहा था उस समय स्कूल के फीस की रसीद दाखिल कर सकता है कि नहीं। **मुदालह 2100 रूपया मांग रहा था परंतु उसके हिसाब से 700 रूपया स्कूल फीस को बकाया के रूप में बाकी था। उस समय उसके पास पैसे नहीं था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। यदि मुदालह कुछ समय का मोहलत देता तो वह बकाया स्कूल फीस उसे दे देता।** वह पैसा देने के वास्ते इस केस के अलावा कहीं बी0ओ0, सी0ओ0, डी0ई0ओ0 के यहां आवेदन नहीं दिया। यह केस करने के उपरांत मुदालह उससे बकाया स्कूल फीस नहीं मांगता है। दिनेश भगत के घर के उ0 में रोड है, द0 में भी रोड है पू0 में घर है और प0 में भी घर है। दिनेश भगत के घर के पूरब और पश्चिम किन किन लोगों का घर है ये वह नहीं बता सकता है। वह डॉक्टर से ईलाज नहीं कराया था, डिसपेंशरी से ईलाज कराया था, डिसपेंशरी वाले का नाम नहीं याद है, यह डिसपेंशरी थाना चौक जमुई में है। केस दर्ज करने के बाद उसने केस के बारे में गांव वाले को बताया था। बुधन और अरविंद ने घटना को देखा था। वह घटना के संबंध में मुखिया को परचारा था। साइकिल से वह थाने गया और फिर साइकिल को घुरकाते हुए घर आया। वह केस करने के समय दरोगा जी को अपना शर्ट नहीं दिया था। उसके बच्चे को कोई खास चोट नहीं लगा था इसलिए उसका ईलाज वह नहीं कराया। वह घर जाकर जाति प्रमाण पत्र लाकर अदालत में दाखिल कर सकता है। उसके गांव में कानू, राजपूत, लाला आदि जाति के लोग हैं और भी जाति के लोग हैं। यह सही बात है कि

बाभन को बाभन कहा जाता है, राजपूत को राजपूत कहा जाता है, पंडी जी को पंडी जी काहा जाता है, लेकिन उसे इन बातों से क्या मतलब है। थाना में वह अपने बेटे रजनीश को लेकर अकेले ही गया था। उसकी पत्नी कोर्ट के दरबाजा पर खड़ी है। वह उसे नहीं देख रही है। केस दर्ज होने के 8–9 दिन के बाद वह एक बार और थाना पर गया था। उसके बाद वह पुलिस को कुछ नहीं कहा। इस केस का विरोध और समर्थन करने वाले का नाम वह नहीं बता सकता है। घटनास्थल उसने नहीं बनाया है चूंकि अभियुक्त ने उसे अचानक मारा इसलिए वह घटनास्थल बना। घटनास्थल पर सी.सी.टी.वी लगा हुआ है। सी.सी.टी.वी. उसके कब्जे में नहीं है इसलिए उसका फुटेज वह नहीं दे सकता है। पुलिस को उसने अपने आवेदन में बताया था कि घटनास्थल पर सी.सी.टी.वी. है। ऐसी बात नहीं है कि उसने यह झूठा केस किया है। ऐसी बात नहीं है कि वह पैसा पचाने के लिए यह केस किया है। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त ने उससे पैसे नहीं मांगा था। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त ने उसे जातिसूचक गाली गलौज नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है कि वह झूठा गवाही दे रहा है और झूठा केस किया है।

7. अभियोजन साक्षी संख्या 2 अरविंद कुमार ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 23.04.2021 के समय लगभग साढ़े आठ बजे सुबह की है। जिस समय लड़ाई झगड़ा हो रहा था उस समय वह नीमा बाजार में था। वह नीमा बाजार नास्ता करने गया था। **दिनेश भगत और राजेश कुमार दास झगड़ा कर रहे थे। जब वह बीच में गया तो देखा कि उसके जीजाजी से ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है।** दिनेश भगत जीजा का कॉलर पकड़ कर गाली गलौज किया बोला चमार, मादरचोद तुम क्या करेगा, थाना या तो कोर्ट जहां भी जाना है जाओ जो करना है करो। दिनेश भगत कॉलर पकड़कर रोड पर बजाड़ दिया। राजेश के साथ उसका छोटा लड़का भी था। जहां पर झगड़ा हो रहा था वहां पर लगभग 500 ईंटा था। यह भी नहीं सोचा कि बच्चा गिरेगा तो क्या होगा। वह दिनेश भगत को देखकर पहचान लेगा। **प्रतिपरीक्षा** (Cross examination) में साक्षी का कथन है कि दिनेश भगत पर उपरोक्त गंभीर आरोप लगाने के अलावा और कोई आरोप नहीं लगाना है। **इस केस के सूचक राजेश दास उसके बहनोई है।** अभियुक्त के स्कूल में उसका दोनों भगना पढ़ता है। विवाद इस बात का था कि लॉकडाउन की अवधि का स्कूल का फीस अभियुक्त उसके बहनोई के घर आकर मांगा था। उसे पता नहीं है कि केस करने के बाद अभियुक्त उसके बहनोई से स्कूल का लॉकडाउन की अवधि का बकाया पैसा मांगता है या नहीं। उसका बयान पुलिस ने घटना के संबंध में नहीं लिया था। वह पहली बार न्यायालय में गवाही दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उसके बहनोई ने स्कूल का बकाया पैसा पचाने के लिए

यह झूठा केस कर दिया है और उसने झूठी गवाही दी है।

8. **अभियोजन साक्षी संख्या 3 बुधन रविदास** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना तीन साल पहले सन् 2021 की है। सुबह आठ बजे की घटना है। सुबह आठ बजे के लगभग वह अपने काम पर जा रहा था। **राजेश और दिनेश हाथाबाहीं कर रहा था।** वह उधर से आ रहा था तो दिनेश चमार चमार कह कर बोलने लगा, वह खड़ा होकर देखने लगा। इसके बाद आगे और क्या हुआ वह नहीं जानता है। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त दिनेश को पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा (Cross-examination)** में साक्षी का कथन है कि राजेश उसकी जाति का है। राजेश के साथ जाकर उसने केस नहीं करवाया। राजेश और दिनेश का घर तीन किलीमीटर की दूरी पर है। दिनेश पहले स्कूल चलाता था। उसे मालूम नहीं है कि राजेश का बच्चा दिनेश के स्कूल में पढ़ता था। वह नहीं कह सकता है कि राजेश और दिनेश के घर के अगल बगल किन लोगों का घर मकान है। उसके गांव में राजपूत, मुसलमान, कानू साव आदि जाति के लोग है। तेली को तेली कहता है और चमार को चमार, राजपूत को राजपूत, बाबू साहब, सिंह कहते है। अभियुक्त दिनेश को भगतवा भगतवा भी गांव में कहा जाता है। आज गवाही के लिए राजेश, सूचक ने कहा। इसके पहले दरोगा जी के समक्ष बयान हुआ था। घटनास्थल पर एक सेकंड रहा, वह कमाने खाने वाला व्यक्ति है, उसे काम पर जाना था। वह वहां से चला गया। ऐसी बात नहीं है कि उसने राजेश के कहने पर झूठी गवाही दिया है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या 4 मंजीत कुमार एवं 5 महेश पासवान** ने अपने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना के बारे में वे कुछ नहीं जानते एवं पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ है। फलतः अभियोजन द्वारा इन दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही (Hostile) घोषित किया गया।

10. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 323/34, 341, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

11. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं सूचक राजेश कुमार के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनेश भगत स्कूल चलाता था, जिसमें इस काण्ड (Case) का सूचक राजेश कुमार का पुत्र पढ़ता था तथा स्वीकृत रूप से प्रथम

लॉक डाउन के समय के लिए स्कूल फीस अपने पुत्र के लिए सूचक राजेश कुमार दास ने अभियुक्त को नहीं दी थी। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त दिनेश भगत (स्कूल मालिक), उसके पिता भोला भगत एवं दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी (कांड के सूचक राजेश कुमार दास को) गर्दन पकड़कर पटक दिया। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त दिनेश भगत ने काण्ड के सूचक की जेब से 2400 रूपया छीन लिया।

यहां उल्लेखनीय है कि पुलिस ने 2400 रूपया छीनने के आरोप को असत्य पाया है तथा पुलिस ने अभियुक्त के पिता एवं अन्य व्यक्तियों की घटना में संलिप्तता को भी असत्य पाया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कांड के सूचक राजेश कुमार दास (अभियोजन साक्षी सं0–1) ने अपने साक्ष्य में 2400 रूपया छीनने की बात भी नहीं कही है तथा ना ही यह कहा है कि इस घटना में अभियुक्त के पिता एवं अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। स्पष्ट है कि सूचक ने या तो प्राथमिकी में ये बाते गलत दर्ज करवायी है या अपने साक्ष्य में जान बुझकर इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। दोनों ही स्थिति में सूचक की विश्वसनीयता सन्देहास्पद (Doubtfull) होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रति परीक्षा (Cross examination) के पैरा–9 में काण्ड के सूचक ने स्वीकार किया है कि उसके हिसाब से 700 रूपये स्कूल फीस बकाया थी, अभियुक्त उसे मोहलत देता तो वह बकाया स्कूल फीस दे देता। मेरे विचार से यह स्वीकृत है कि स्कूल फीस का बकाया था, जिसे सूचक को देना था, यह घटना का कारण भी हो सकता है एवं झूठा फंसाने का कारण भी हो सकता है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 अरविंद कुमार ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनेश भगत (अभियुक्त) एवं राजेश कुमार दास (सूचक) झगड़ा कर रहे थे। इसी साक्षी ने स्वीकार किया है कि सूचक उसका बहनोई है। स्वीकृत है कि यह साक्षी हितबद्ध साक्षी है तथा इसने कहा है कि दोनों झगड़ा कर रहे थे। स्पष्ट है कि मामला एक तरफा नहीं था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने प्राथमिकी के बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर समर्थन नहीं किया है, जैसे कि अभियुक्त ने 2400 रूपया छीन लिया। मारपीट करने वालों में अभियुक्त के पिता एवं दो अज्ञात व्यक्ति भी थे। अभियोजन साक्षी सं0–3 बुधन रविदास ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination in Chife) में कहा है कि राजेश कुमार दास एवं दिनेभ भगत हाथा बाही कर रहे थे। दिनेश भगत चमार कह कर बोलने लगा। प्रति परीक्षा (Cross examination) में साक्षी ने स्वीकार किया है कि कांड का सूचक राजेश कुमार दास उसकी जाति का है। इस अभियोजन साक्षी सं0–3 ने भी प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया है। अंतिम अभियोजन साक्षी सं0–4 मनजीत

कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या 5 महेश पासवान ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के बारे में वह कुछ नहीं जानते है। फलतः अभियोजन साक्षी सं0–4 एवं 5 अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही (Hostile) घोषित हुये। मामले में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं हुआ है। सूचक अनुसूचित जाति तथा जनजाति का सदस्य था, इसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं आया है। साक्ष्यों में उपरोक्त असमानताओं एवं विरोधाभाषों के आधार पर मैं यह धारण करता हूँ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त दिनेश भगत के विरूद्ध इस मामले में लगे भा0द0वि0 की धारा 323/34, 341, 504 एवं 506 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के आरोप को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे (Beyond shadow of all reasonable doubt) साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त **दिनेश भगत** को उसके विरूद्ध इस मामले में लगे भा0द0वि0 की धारा 323/34, 341, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे एवं उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–07.08.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–07.08.2026